



आदेश

बिहार राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं उससे बचाव हेतु प्राप्त निर्देश के आलोक में पटना नगर निगम के सभी कार्यालयों में अवस्थित बायोमैट्रिक उपस्थिति दिनांक-31.03.2020 तक स्थगित किया जाता है। परन्तु सभी कर्मियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपना मैनुअल उपस्थिति, उपस्थिति पंजी में दर्ज करेंगे।

9/1
21/3/2020

9/1

21/3/2020
नगर आयुक्त
पटना नगर निगम

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित कर्मचारी/ सभी अपर नगर आयुक्त / सभी उप नगर आयुक्त/ नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक/ सभी कार्यपालक पदाधिकारी/सभी कार्यपालक अभियंता/पी0आई0यू0-1, 2, 3/ विद्युत प्रमंडल/ निबंधक जन्म मृत्यु/ नगर सचिव/मुख्य नगर अभियंता/निदेशक शहरी योजना/निगरानी/विधि/नगर आयुक्त के निजी सहायक/ प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना एवं अन्य सभी संबंधित शाखा, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/1
21/3/2020

9/1

21/3/2020
नगर आयुक्त
पटना नगर निगम